

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति / सदस्य बालक कल्याण समिति / सामाजिक कार्यकर्ता  
किशोर न्याय बोर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

संचालक,  
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग  
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ. ग.)

आवेदक का  
रव हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साईज फोटों

1. आवेदित पद का नाम :— .....
2. आवेदित पद का जिला :— .....
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :— .....
4. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :— .....
5. पिता / पति का नाम :— .....
6. स्थायी पता :— .....
7. पत्र व्यवहार का पता :— .....

दूरभाष / मोबाईल ..... ईमेल — .....

7. निवास प्रमाण पत्र के आधार पर गृह जिला :— .....
8. जन्मतिथि (अंकों में) :— .....
- (शब्दों में) :— .....
- (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न करें।)
9. आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न की जाये) :— .....
10. दिनांक 01/01/2024 को आयु :— .....
11. लिंग – पुरुष / महिला / अन्य :— .....
12. जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) :— जाति ..... वर्ग .....
13. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :— .....
- यदि हां तो विवरण (संस्था का नाम, पद एवं कार्य का विवरण) .....
14. आवेदक यदि पूर्व में बालक कल्याण समिति का सम्मानित अध्यक्ष / सदस्य अथवा किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता रहा है / रही है तो निम्न पदों के विरुद्ध स्पष्ट विवरण देवे। साथ में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि एक से अधिक कार्यकाल रहा है तो प्रत्येक कार्यकाल का पृथक–पृथक विवरण देवे :—  
अध्यक्ष, बालक कल्याण समिति – कार्य अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक  
सदस्य, बालक कल्याण समिति – कार्य अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक  
सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड – कार्य अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

15. आवेदक का व्यवसाय :— .....

16. शैक्षणिक योग्यता :— (समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

17. अन्य योग्यता/अनुभव विज्ञापन में चाहे गये अहंताओं के प्रकाश में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कार्यालय/संस्था का नाम व पता	पदनाम	अनुभव का विवरण			वेतन	पद छोड़ने का कारण
			कब से	कब तक	अवधि		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

### 18. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची, स्नातकोत्तर की अंकसूची
4. अनुभव प्रमाण पत्र
5. आवेदक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर विधि विरुद्ध कार्य में संलग्न न रहने, किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने, किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न होने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न होने, ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होने जिसके कारण बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति आवश्यक समय और ध्यान न दे सके, दिवालिया न होने का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
6. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को प्रारूप 49 (नियम 15 (4 क)) में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. आवेदक छत्तीसगढ़ के मूलनिवारी होने का निवास/मूल प्रमाण पत्र संलग्न करे।
8. यदि आवेदक पूर्व में अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/सदस्य बालक कल्याण समिति रहा है तो स्थान एवं कार्य अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

### 19. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1 .....  
2 .....

आवेदक के हस्ताक्षर

## घोषणा—पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :— .....

दिनांक :— .....

## प्रारूप 49

### (नियम 15(4क))

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं.....बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य  
के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अधिनियम की धारा  
27(4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

- (1) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
  - (2) मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
  - (3) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।
  - (4) मैं कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ या
  - (5) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)  
नाम और अन्य विशिष्टियां